कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

// ज्ञापन//

क्रमांक 8057/2021 भोपाल, दिनांक 29 / 11/2021

प्रति,

प्रभारी अधिकारी,
कम्प्यूटर अनुविभाग,
जिला न्यायालय, भोपाल

विषय :– जिला न्यायालय भवन परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल में वाहन स्टैण्ड संचालित करने हेतु निविदा आमंत्रित करने के सम्बन्ध में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन विषयक।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप, जिला न्यायालय भवन परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल में वाहन स्टैण्ड संचालित किये जाने संबंधी विज्ञप्ति एवं निविदा प्रलेख जिला न्यायालय, भोपाल एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर अपलोड करने एवं साथ ही विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु तत्काल अपर संचालक, विज्ञापन, जनसम्पर्क कार्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर आई.डी. पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित किये जाने हेतु श्री रूपेश शुक्ला, जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट को निर्देशित करें।

संलग्न :– विज्ञप्ति की प्रति

OK **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
भोपाल (म.प्र.)
भोपाल, दिनांक 29/11/21

पृष्ठांकन क्र 8058/2021
प्रतिलिपि –

(1) प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, भोपाल
(2) जिला रजिस्ट्रार जिला न्यायालय भोपाल,
(3) जिला नाजिर, नजारत अनुभाग जिला न्यायालय भोपाल,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

OK **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कंपनियां अपना आवेदन निविदा शर्तो के संबध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 15–12–2021 को दोपहर 1.00 बजे तक रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला न्यायालय, भोपाल में जमा कर सकते हैं। निविदा उक्त दिनांक को सांयकाल 4.00 बजे आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रलेख/आवेदन राशि रूपये 100/– नगद जमा करने पर नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल से दिनांक 15–12–2021 तक कार्यालयीन समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

//निविदा प्रलेख//

नवीन जिला न्यायालय भवन, भोपाल में अनुबंध निष्पादित कराये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार है :–

01– वाहन स्टैंड हेतु निर्धारित राशि रुपए 1,00,000/–(एक लाख रूपये) की एफ. डी. आर. प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

02– वाहन स्टैंड हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर राशि रुपए 25,000/– प्रतिमाह होगी।

03– निविदा फार्म के साथ राशि रुपए 25,000/– का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल के नाम से जमा करना होगा, जो कि निविदा स्वीकृत न होने के दशा में वापसी योग्य होगी एवं स्वीकृति की दशा में समायोजन योग्य होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

04– निविदा स्वीकृति उपरांत टेण्डर की शर्तो के अनुसार अनुबंध–पत्र (ठेका कार्य) निष्पादित न करने की दशा में सुरक्षानिधि की राशि बिना सूचना के जब्त कर ली जाएगी तथा नए टेंडर प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि वसूली की जाएगी।

05– वाहन स्टैण्ड संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिए दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुए निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

06– विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

07– वाहन स्टैण्ड के संचालन का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार कराना आवश्यक होगा।

08– मासिक प्रीमियम राशि लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में तथा निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक शुल्क लिए जाने की दशा में अमानत राशि जब्त कर ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

09– वाहन स्टैण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो।

10– वाहन स्टैण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस समय में एवं समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही किया जाएगा।

11– वाहन स्टैण्ड संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं करेंगे।

12– वाहन स्टैण्ड संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो।

13– वाहन स्टैण्ड हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।

14– वाहन स्टैण्ड हेतु आवंटित स्थान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे। वाहन हेतु आवंटित स्थान पर वाहन सुव्यवस्थित रूप से रखेंगे ताकि पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो।

15– साइकिल/स्कूटर/दो पहिया/चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा

01–	साइकिल	–	रू. 2/– प्रतिदिन
02–	दो पहिया वाहन	–	रू. 5/– प्रतिदिन
03–	चार पहिया वाहन	–	रू. 10/– प्रतिदिन

16– वाहन के चोरी चले जाने या नष्ट कर दिए जाने की दशा में ठेकेदार उत्तरदायी होगा। ठेकेदार को वाहन पार्किंग करने वाले वाहन चालक को टोकन प्रदाय करना अनिवार्य होगा।

17– पार्किंग शुल्क सूची कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जावे एवं निर्धारित दर पर ही आम जनता से पार्किंग शुल्क लिया जावे।

18– निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत टेण्डर अवधि के दौरान बीच में ही कार्य बंद करने या छोड़ने की दशा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर ली जाएगी।

19– वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी संचालक नियोजित कर सकेगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी। कर्मचारियों को संचालक पहचान–पत्र जारी करेगा जो धारण किये रहेंगे।

20– वाहन स्टैण्ड संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किए जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान वाहन स्टैण्ड संचालक को वाहन स्टैण्ड का संचालन करना होगा।

21– निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाए जाने की दशा में निविदाकर्ता के आवेदन पर समिति द्वारा संविदा की अवधि उसी दर पर या नवीनीकृत बढ़ी हुई दर पर 01 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

22– जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे 03 दिन के अंदर निविदा की शर्तों की पूर्ति करते हुए अनुबंध–पत्र निष्पादित करना होगा।

23– ठेका कार्य के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के निर्णय के विरुद्ध आपत्ति प्रधान जिला न्यायाधीश , भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी एवं उनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

24– प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल को यह अधिकार होगा कि स्टैण्ड संचालन हेतु दिया गया लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताए 07 दिन का नोटिस देकर निरस्त कर दें और उस दशा में ऐसे आवंटितों को प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में वाहन स्टैण्ड का संचालन अविलंब बंद करना होगा अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वाहन स्टैण्ड संचालन को बंद कराकर आवंटित स्थान रिक्त करा ले। इस सम्बन्ध में प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल का निर्णय अन्तिम और आबद्धकारी होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)